राजस्व अपील संख्या 318 / 2023

अनवान

मांगीलाल वगैराह बनाम तहसीलदार, जोधपुर

दिनांक 02.08.2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (दक्षिण) जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 09 / 2023 अनवान तहसीलदार जोधपुर बनाम मांगीलाल वगैराह में पारित आदेश दिनांक 30.06.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से उपस्थित अधिवक्तागण की स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अपील बाबत की गई बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2023 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया।

समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हुए उपखण्ड अधिकारी, दक्षिण जिला जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे तहसीलदार, जोधपुर से उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका नक्शा एवं मौका रिपोर्ट तैयार करवा कर तलब क़रें, तत्पश्चात प्रकरण का विधिवत निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर